

2.37 PM
19/3/14

15/ लोक सभा निर्वाचन 2014/Ro.
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप-2क
(नियम 4 देखिए)
नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन
नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें
भाग-1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए 39 नवंबर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में
निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ। अभ्यर्थी का नाम सुरेश-रंजित पिता/माता/पति
का नाम सुरेश-रंजित उसका डाक पता आस मेवाड़ी पोस्ट ऑफिस जिला राजस्थान
उसका नाम 5 राजस्थान संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समाविष्ट 19 राजस्थान विधान सभा
निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 114 में क्रम सं० 246 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम सुरेश रविदास है जो 39 नवंबर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
[में समाविष्ट 236 राजस्थान विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 197 में क्रम सं० 572
पर प्रविष्ट है।
तारीख सुरेश रविदास (प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग-2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र
से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम सुरेश
पिता/माता/पति का नाम सुरेश
उसका डाक पता सुरेश
उसका नाम सुरेश संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र *(में समाविष्ट विधान सभा
निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक सुरेश में क्रम संख्यांक पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के
लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते
हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्र.सं.	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	236 राजस्थान विधान सभा	197	572	सुरेश रविदास	सुरेश रविदास	19/3/14
2.	"	"	550	श्यामदेव चौधरी	श्यामदेव चौधरी	"
3.	"	"	457	अरविन्द चौधरी	अरविन्द चौधरी	"
4.	"	"	462	विजय चौधरी	विजय चौधरी	"
5.	"	"	465	अनूप चौधरी	अनूप चौधरी	"
6.	"	"	468	राजू चौधरी	राजू चौधरी	"
7.	"	"	421	विरेंद्र राजवंशी	विरेंद्र राजवंशी	"
8.	"	"	412	सुरेश रंजित	सुरेश रंजित	"
9.	"	"	612	रामरूप दास	रामरूप दास	"
10.	"	"	39	शंकर दास	Shankar Das	"

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

अधिसूचना सं० का० आ० 558(अ), तारीख 9 अगस्त, 1996 द्वारा प्रारूप 2क से 2ग के स्थान पर प्रतिस्थापित।

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है

[नीचे (ख) (i) या (ख) (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में समाजवादी पार्टी द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में 2/02 दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अथ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) 2/02 (ii) 2/02 (iii) 2/02 हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर देवनागरी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं **जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो अरुणाचल राज्य के उस राज्य में के कोरमा (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ***जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ****नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 19.03.2014

खुशवंत राजवंशी
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

*जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में "में समादिष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए।

**यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए।

***लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

****जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़ दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें :- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैति दल अभिप्रेत है।

[भाग 3क
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को—

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की —

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों के लिए ; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

अधिसूचना सं० का०आ० 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित।

हाँ/नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट

संख्यांक.....

(ii) पुलिस थाना

(थाने).....

जिला (जिले).....

राज्य.....

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/(तारीखें)

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें).....

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे :
हाँ/नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियाँ.....

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे.....

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं.....

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो —

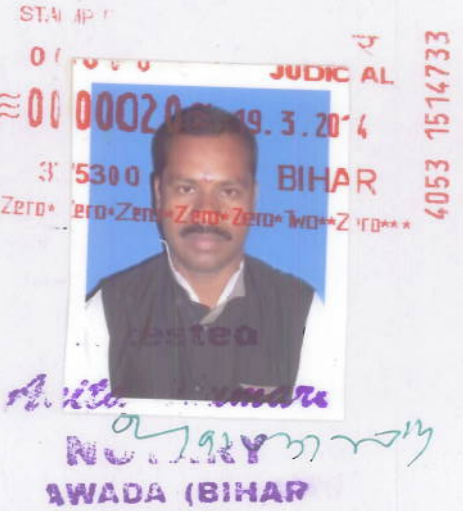
(क) निपटारे की तारीख (तारीखें).....

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति).....

स्थान : ०९/६५

तारीख : 19.03.2014

सुरेन्द्र राववशी
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)



निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) 39 सम नवादा लोकसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं सुरेन्द्र राजवंशी **पुत्र/पुत्री/पत्नी सुषमा राजवंशी

आयु 35 वर्ष, जो समाजवादी पार्टी के लिए

शाना 8752 मा गिमा 8752 मा पीन - 825410 मारखस

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:-

(1) मैं समाजवादी पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं।

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 19 8752 मा बिधान सभा (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 114 के क्रम सं 246 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 09934537671 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :

AXJPR 2218 R

2012-13

सुरेन्द्र राजवंशी

19 MAR 2014



क्रम सं.	नाम	पैन नंबर मा०-1796	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	AXJPR 221BR	2012-13	235550-00
2.	पति या पत्नी	शुन्	शुन्	शुन्
3.	आश्रित-1	शुन्	शुन्	शुन्
4.	आश्रित-2	शुन्	शुन्	शुन्
5.	आश्रित-3	शुन्	शुन्	शुन्

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

शुन्

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभिक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।



(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शुन्
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शुन्
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुन्
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शुन्
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शुन्
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शुन्

शुद्ध राजवंशी

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध अर्पित है/हैं निम्न न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-



(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शुन्
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शुन्
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	शुन्

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

शुन्



यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शुन्
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शुन्
(ग)	अधिरोपित दंड	शुन्
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शुन्

शुन् राजवंशी

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i) हाथ में नकदी	5,00,000/-	1,00,000/-	शु. 25	शु. 25	शु. 25
(ii) बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	1-फरवरी 2013 204952=75 5.13.9. 272406=46 13.0.9. 212831=00	शु. 25	शु. 25	शु. 25	शु. 25
(iii) कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शु. 25	शु. 25	शु. 25	शु. 25	शु. 25

सुरेश रावती

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वितीय लिखतों में विनिधान और रकम	150000/-	2021	2021	2021	2021
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	2021	2021	2021	2021	2021
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	2021	2021	2021	2021	2021
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	2021	100 ग्राम सोना 300000/- 21K9-चंदी	2021	2021	2021
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	2021	115000/-	2021	2021	2021
(ix)	समग्र कुल मूल्य आ-स्थायी आस्तियों के ब्यौरे	194019020	515000/-	2021	2021	2021

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	2021	2021	2021	2021	2021
	सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	2021	2021	2021	2021	2021
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	2021	2021	2021	2021	2021
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	2021	2021	2021	2021	2021
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	2021	2021	2021	2021	2021
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	2021	2021	2021	2021	2021
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई	2021	2021	2021	2021	2021

सुनेन्द्र राजवंशी

	विनिधान		२०२५	२०२५	२०२५
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य		२०२५	२०२५	२०२५
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	६५७०	२०२५	२०२५	२०२५
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२००० वर्ग फुट	२०२५	२०२५	२०२५
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
(iii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	९०००००/-	२०२५	२०२५	२०२५
	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ)	६५७०	२०२५	२०२५	२०२५
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२००० वर्ग फुट	२०२५	२०२५	२०२५
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	२००० वर्ग फुट	२०२५	२०२५	२०२५
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५

सुरेन्द्र राजवंशी

	क्रय की तारीख	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
	विकास, सनिमार्ण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	30000/-	२०२५	२०२५	२०२५
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	पिता पुत्र	२०२५	२०२५	२०२५
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	30000/-	900000/-	२०२५	२०२५

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित --3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
	कोई अन्य दायित्व	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
	दायित्वों का कुल योग	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
(II)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५
	आय-कर शोध्य	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५	२०२५

शेखर राववेंशी

	धनकर शोध	२०२	२०२	२०२	२०२	२०२
	सेवाकर शोध	२०२	२०२	२०२	२०२	२०२
	नगरपालिका संपत्ति का शोध	२०२	२०२	२०२	२०२	२०२
	विक्रयकर शोध	२०२	२०२	२०२	२०२	२०२
	कोई अन्य शोध	२०२	२०२	२०२	२०२	२०२
(iii)	सभी सरकारी योध्यों का योग	२०२	२०२	२०२	२०२	२०२
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	२०२	२०२	२०२	२०२	२०२

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं स्वातंत्र्य

(ख) पति या पत्नी गृहिणी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-



जानक प्रताप मण्डल / टी.एस. कॉलेज बिबुआ

विश्वविद्यालय, बोधगंगा सन - १९९२-९५

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

सुदेश राजवंशी



(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु सुरेन्द्र राजवंशी				
2	डाक का पता	ग्राम-सेवातरी पोस्ट-दिबौर थाना षोडरमा जिला षोडरमा				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	19 षोडरमा विधान सभा महाराष्ट्र				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसमें अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	समाजवादी पार्टी				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शुन्य				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	शुन्य				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शुन्य				
		 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	AXJPR 2218R	2012-13	235550-00		
	(ख) पति या पत्नी	शुन्य	शुन्य	शुन्य		
	(ग) आश्रित	शुन्य	शुन्य	शुन्य		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	शुन्य	515000/-	शुन्य	शुन्य	शुन्य
ख	स्थावर आस्तियां	30,000/-	900000/-	शुन्य	शुन्य	शुन्य

सुन्दर राजवंशी

I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	72000/-	शु.२५	शु.०५	शु.२५
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)		शु.०५	शु.०५	शु.०५
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	900000/-	शु.०५	शु.०५	शु.०५
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	515000/-	शु.०५	शु.०५	शु.०५
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	900000/-	शु.०५	शु.०५	शु.०५
9	दायित्व		शु.०५	शु.०५	शु.०५
	(i) सरकारी शोध (कुल)		शु.०५	शु.०५	शु.०५
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)		शु.०५	शु.०५	शु.०५
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं				
	(i) सरकारी शोध (कुल)		शु.०५	शु.०५	शु.०५
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)		शु.०५	शु.०५	शु.०५
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : एनएच एनिएडा मनोविज्ञान / टीएलएड कावेज हिंदुआ महाविश्वविद्यालय कोलकाता सन - 1992-95 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्रारूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)				

डोट राफेदी

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 19.03.2014 को सत्यापित किया गया।

I know and identify the
deponent as of his signature and appearance
अभिसाक्षी
19/3/14

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, एथारिथित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं 9934537671

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है 21.02

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है 21.02

Anita Kumari
NOTARY
NAWADA (BIHAR)

शुद्ध राजवंशी